भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3472

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा बीमा

3472. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री जी. सेल्वम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा बीमा के अंतर्गत कितने लोग शामिल हैं तथा चिकित्सा बीमा प्रदाता कंपनियों का राज्य/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च की ही प्रतिपूर्ति की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के पास सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, भर्ती-पूर्व और भर्ती पश्चात के उपचारों को शामिल करने वाली एक मानक स्वास्थ्य बीमा पालिसी प्रदान करना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आईआरडीएआई ने ओपीडी उपचार और मातृत्व कवर आदि पर होने वाले खर्च को शामिल करने का सुझाव दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-जीवन और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जारी की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की कंपनी-वार संख्या क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध -II में दी गई है।

(ख) से (घ): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने सूचित किया है कि बीमाकर्ता बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 (6ग) के तहत "स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय" की परिभाषा के अनुसार, बीमारी लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल लाभ, (चाहे अंतरंग रोगी या बाह्य रोगी के रूप में), यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर करने वाले उत्पादों को तैयार कर सकते हैं और उनका विपणन कर सकते हैं।

इसके अलावा, इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए बीमाकर्ताओं के लिए विनियामक ढांचे को लागू किया है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले व्यय के अलावा कई लाभों को कवर किया जा सकता है, जिसमें डे केयर प्रक्रियाओं/उपचारों, अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के व्यय, ओपीडी उपचार व्यय और प्रसूति उपचार व्यय शामिल हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत ये लाभ संबंधित बीमा अनुबंध के निबंधनों और शर्तों से अभिशासित होते हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो के अंतर्गत जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पाद केवल परिभाषित लाभ प्रदान करते हैं जो पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार घटना के घटित होने पर देय हो जाता है।

इरडाई ने यह भी सूचित किया है कि उसने सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को आम जनता की बुनियादी स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 'आरोग्य संजीवनी' नामक क्षतिपूर्ति आधारित मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने का अधिदेश दिया है। उपर्युक्त उत्पाद की विशेषताओं में अस्पताल में भर्ती होने, भर्ती से पहले और बाद के उपचार, डे केयर उपचार, आयुष उपचार, दंत चिकित्सा और बीमारी या चोट के कारण आवश्यक प्लास्टिक सर्जरी, और मोतियाबिंद के उपचार के लाभ शामिल हैं।

(ड.): स्वास्थ्य बीमा के कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना को 10.74 करोड़ परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) के लिए 5 लाख रुपए के वार्षिक पारिवारिक स्वास्थ्य कवर के साथ शुरू किया है जिससे बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, उपर्युक्त 50 करोड़ व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में एबी-पीएमजेएवाई के तहत 14.75 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है।

साथ ही, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32ख और 32ग प्रत्येक बीमाकर्ता को ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों से जीवन बीमा व्यवसाय का प्रतिशत शुरू करने के लिए अधिदेशित करती है। ईरडाई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले व्यवसाय के लक्षित प्रतिशत को निर्दिष्ट करता है।

इसके अलावा, ईरडाई ने स्वास्थ्य बीमा के कवरेज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. जनता के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए बीमाकर्ताओं को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने का अधिदेश दिया गया है।

ii. विनियमों अर्थात् इरडाई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016; इरडाई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015; इरडाई (बीमा दलाल) विनियम, 2018; इरडा (वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2013 और इरडाई (बीमा मार्केटिंग फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015, के माध्यम से कई वितरण चैनलों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें संभावित लोगों को पेशेवर सलाह प्रदान करने और बीमा उत्पादों को बड़े पैमाने पर वितरित करने की क्षमता होती है, जिससे स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बढ़ जाती है। बीमाकर्ताओं को बीमा उत्पादों को बेचने और सेवा देने के लिए वितरण चैनल के रूप में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है।

iii. बीमा कराने वाली जनता के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बीमाकर्ताओं को यह अधिदेश दिया गया है कि सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को कम से कम 65 वर्ष की आयु तक प्रवेश की अनुमति दी जाए और स्वास्थ्य/बीमा सुरक्षा की उपलब्धता जीवन भर सुनिश्चित करने के लिए नवीकरण की गारंटी दी जाएगी।

iv. बीमाकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के भाग के रूप में कल्याण और निवारक सुविधाओं को पेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जनता सक्रिय रहे और निरंतर आधार पर पालिसियों का नवीकरण किया जा सके।

v. आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए बीमाकर्ताओं को उपयोग और फ़ाइल प्रक्रिया के तहत उत्पादों को लॉन्च करने की अनुमति दी जाती है जिससे बीमाकर्ता उत्पादों को निर्विघ्न लॉन्च करने में सक्षम होंगे ताकि विपणन क्षेत्र के सभी वर्गों तक यह पहुंच सके।

*****

अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र* में जारी की गई स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की संख्या

क्रम सं.	गैर-जीवन बीमा कंपनी का नाम	ग्रामीण क्षेत्र* में जारी स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की संख्या#
1	एको जनरल इंश्योरेंस लि.	1,110
2	बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	77,189
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	21,463
4	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	22,494
5	एडेलविस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,530
6	फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	77
7	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	2,434
8	एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	114,212
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,285,359
10	इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	48,264
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	649,973
12	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	378
13	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	11,391
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	334
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	548
16	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	79,113
17	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	341,910
18	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0
19	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	9,960
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	65,859
	निजी का कुल	**2,734,598**
21	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	50,711
22	न्यू इंडिया एश्यूरेंस	30,690
23	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.	77,718
24	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	23,797
	सार्वजनिक का कुल	**182,916**
25	आदित्य बिरला हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	30,139
26	मणिपाल सिग्मा हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	20,360
27	निवा बूपा	155,706
28	केयर हैल्थ इंश्योरेंस लि.	154,333
29	स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,517,794
	स्टैण्ड-अलोन हैल्थ इंश्योरर्स का कुल	**1,878,332**
	सकल योग	**4,795,846**

स्रोत: आईआरडीएआई

**इरडाई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों) विनियम, 2015 के अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्र' का अर्थ है नवीनतम उपलब्ध दशकीय जनसंख्या जनगणना (भारत की जनगणना) आयोजित करते समय 'ग्रामीण' के रूप में वर्गीकृत स्थान या क्षेत्र।*

#अनंतिम

अनुबंध-II

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जीवन बीमा कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र* में जारी की गई व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की संख्या

क्रम सं.	जीवन बीमा कंपनी का नाम	ग्रामीण क्षेत्र* में जारी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की संख्या#
1	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	534
2	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	47
3	केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	664
4	एडिलवेस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
5	फ्यूचर जनरेली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	82
6	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	146
7	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5024
8	एगीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	19
9	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1260
10	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	681
11	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2236
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7045
13	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
	निजी (कुल)	**17746**
14	भारतीय जीवन बीमा निगम	33170
	उद्योग (कुल)	**50916**

स्रोत: आईआरडीएआई

**इरडाई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों) विनियम, 2015 के अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्र' का अर्थ है नवीनतम उपलब्ध दशकीय जनसंख्या जनगणना (भारत की जनगणना) आयोजित करते समय 'ग्रामीण' के रूप में वर्गीकृत स्थान या क्षेत्र।*

#अनंतिम